भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2793
दिनांक 12 अगस्त, 2026 / 21 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

एनसीआरबी रिपोर्टों में विलंब

2793 श्री विवेक के. तन्खा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2023 के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) की 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट को केवल सितंबर, 2025 में प्रकाशित किए जाने में हुई दो वर्ष की देरी के कारण क्या हैं;

(ख) एनसीआरबी ने घृणा संबंधी अपराध, ऑनर किलिंग एवं भीड़ द्वारा हिंसा से संबंधित आंकड़ों के पृथक ट्रैकिंग की शुरुआत किये जाने के केवल एक वर्ष बाद, क्यो बंद कर दिया;

(ग) क्या सरकार यह स्वीकार करती है कि कम प्रथम सूचना रिपोर्टों का दर्ज किया जाना, अनिवार्य रुप से कम अपराध होने का संकेत नहीं है, बल्कि यह पुलिस की अनिच्छा अथवा जानबूझकर कम प्रथम सूचना रिपोर्टों के दर्ज किए जाने को भी दर्शाता है; और

(घ) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि एनसीआरबी के आंकड़े प्रशासनिक रिपोर्टिंग की सुविधा के बजाय वास्तविक अपराध की घटनाओं को परिलक्षित करे?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रतिवर्ष तीन सांख्यिकीय रिपोर्ट प्रकाशित की जाती हैं, जिनका नाम 'भारत में अपराध', 'भारत में दुर्घटनात्मक मृत्यु एवं आत्महत्यायें' तथा 'भारत में जेल सांख्यिकी' है। इन प्रकाशनों में एक कैलेंडर वर्ष से संबंधित आँकड़ों का संकलन किया जाता है। अतः संबंधित वर्ष की समाप्ति के पश्चात ही आँकड़ों के संकलन की प्रक्रिया आरम्भ की जाती है। वर्तमान में उपलब्ध नवीनतम प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2024 से संबंधित हैं।

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2793, दिनांक 12.08.2026

ब्यूरो द्वारा विकसित एक समर्पित सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के माध्यम से आँकड़ों का संग्रहण डिजिटल रूप से किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के माध्यम से आँकड़ों का संग्रहण तथा उनका समेकन/संकलन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जिला एवं राज्य स्तर पर विभिन्न चरणों में किया जाता है, और तत्पश्चात ब्यूरो द्वारा उनका संकलन किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत आँकड़ों का सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित सत्यापन तंत्र के माध्यम से विभिन्न स्तरों एवं चरणों पर व्यापक रूप से सत्यापन/प्रमाणीकरण किया जाता है। यदि आँकड़ों में किसी प्रकार की विसंगति/असंगति पाई जाती है, तो उन्हें पुनः प्रमाणीकरण हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को वापस भेजा जाता है। आँकड़ों के विस्तृत प्रपत्रों के अनुरूप एकरूप संग्रहण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आँकड़ा संकलन संबंधी आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है। ब्यूरो द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ब्यूरो की वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने घृणा अपराध और भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा से संबंधित आँकड़े कभी प्रकाशित नहीं किए। जहाँ तक सम्मान रक्षा हेतु हत्या का संबंध है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो वर्ष 2014 से इसके आँकड़े प्रकाशित कर रहा है।

भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' एवं 'लोक व्यवस्था' राज्य सूची के विषय हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने, नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने, जिनमे प्रथम सूचना रिपोर्ट के पंजीकरण, अपराधों के अन्वेषण तथा अपराध एवं अपराधियों के अभियोजन शामिल है, की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है, जो प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत ऐसे अपराधों से निपटने के लिए सक्षम हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा साझा किए गए सत्यापित डेटा के आधार पर अपनी रिपोर्ट समेकित, संकलित और प्रकाशित करता है।
